UPM0280024692026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–सर्वेश कुमार मिश्र, उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा–यू0 पी0 2073

प्रार्थना पत्र संख्या –255/2026

राज्य **प्रति** इरफान खान।
अ०सं0 222/2026
थाना आर.पी.एफ पोस्ट रामपुर।
धारा –160(2) रेल अधिनियम।

दिनांकः 01.07.2026

प्रार्थना पत्र **इरफान खान** की ओर से थाना आर.पी.एफ पोस्ट रामपुर के कब्जे में निरुद्ध वाहन **संख्या UP22–BJ–3619** को अपने पक्ष में निर्मुक्त किए जाने की याचना के साथ प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वाहन आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर के कब्जे में निरुद्ध है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन के थाने में निरुद्ध होने से उसके खुर्द बुर्द अथवा क्षय होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार वाहन संख्या **UP22–BJ–3619** आर.पी.एफ पोस्ट रामपुर के कब्जे में निरुद्ध है। उक्त वाहन की तकनीकि रिपोर्ट थानाख्या के साथ संलग्न है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी की ओर से वाहन वाहन संख्या **UP22–BJ–3619** के संबंध रजि0 प्रमाण पत्र, बीमा व स्वयं के आधारकार्ड की छायाप्रति तथा मूल अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाहन के रजि0 प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उपरोक्त वाहन संख्या **UP22–BJ–3619** की रिलीज के संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अलावा किसी अन्य दावेदार द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य भी संज्ञान में नहीं लाया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि उपरोक्त वाहन को अवमुक्त करने से प्रस्तुत मामले की विवेचना में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रभावित अथवा नष्ट होगा। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दर भाई अंबालाल देसाई बनाम सरकार गुजरात ए.सी.सी 2003 (ए.सी. पेज संख्या–223)** में पारित दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि उपरोक्त वाहन संख्या **UP22–BJ–3619** को दौराने मुकदमा प्रार्थी के पक्ष में सशर्त सुपुर्द किया जाए।

आदेश

1– यह कि प्रार्थी अंकन 150000 /–रुपए की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करेगा।

2– यह कि प्रार्थी अण्डरटेकिंग भी इस आशय की दाखिल करेगा कि दौरान विचारण वाद, वह उक्त प्रश्नगत वाहन को न्यायालय की अनुमति के बिना किसी को भी विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं करेगा और न ही वह उसके मूल रंग व स्वरूप में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करेगा और जब जब न्यायालय अथवा विवेचक उसको तलब करेगा, आवेदक उसे अपने खर्चे पर अविलम्ब न्यायालय में पेश करेगा।

3–विवेचक को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह वाहन से संबंधित समस्त प्रपत्रों की तीन–तीन प्रतियां पत्रावली पर रखे तथा विभिन्न कोणों से वाहन (वाहन की स्पष्ट पहचान हेतु) रंगीन फोटोग्राफी कराएंगे तथा उक्त फोटोग्राफ को सत्यापित कर सी0 डी0 का भाग बनाए।

4–यह कि प्रार्थी उपरोक्त वाहन के प्रस्तुत कागजात की सत्यापित प्रतियां दाखिल करेगा।

संबंधित थानाध्यक्ष उक्त वाहन संख्या **UP22–BJ–3619** का सत्यापन संबंधित आर.टी.ओ से कराने के पश्चात ही अगर उक्त वाहन संख्या **UP22–BJ–3619** किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उपरोक्त वाहन संख्या **UP22–BJ–3619** को प्रार्थी इरफान खान की सुपुर्दगी में सशर्त अवमुक्त करें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

आशुलिपिकः हरगोविन्द सिंह।
हस्ताक्षर